संख्या– 12/2022/1858/छप्पन-2021-10(3)/2004

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2022

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर, गुड़ौरा व औरंगाबाद खालसा में धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर एवं अर्जन व्यय की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक: 458/ना0उ0नि0/2020, दिनांक 07 जनवरी, 2021, पत्रांक: 579/ ना0उ0नि0/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021, पत्रांक: 30/ना0उ0नि0/2021 दिनांक 12 मई, 2021, पत्रांक: 81/ना0उ0नि0/2021 दिनांक 11 जून, 2021 एवं पत्रांक: 313/ना0उ0नि0/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर, गुड़ौरा व औरंगाबाद खालसा में धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सन्दर्भ में प्रतिकर एवं अर्जन व्यय की धनराशि रू0 5,92,42,975/- (रूपया पाँच करोड़ बयानवे लाख बयालीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि, जिसमें 10 प्रतिशत अर्जन व्यय सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर, गुड़ौरा व औरंगाबाद खालसा में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 28ए के अन्तर्गत उक्त 38 प्रकरणों में धनराशि के भुगतान के लिए रू0 5,92,42,975/- (रूपया पाँच करोड़ बयानवे लाख बियालिस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि, जिसमें 10 प्रतिशत अर्जन व्यय सम्मिलित है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 5,92,42,975/- (रूपया पाँच करोड़ बानवें लाख बयालीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) उक्त प्रतिकर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन निर्गत की जा रही है कि यदि भविष्य में इस वित्तीय स्वीकृत के अन्तर्गत किसी प्रकार का विचलन/अनियमितता पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), संयुक्त संगठन, लखनऊ का होगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,92,42,975/- (रूपया पाँच करोड़ बयानवे लाख बयालीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-38 के पूँजीगत लेखाशीर्षक-"5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800- अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-3465/दस-2021-2022, दिनांक 28 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0- 12/2022/1858(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), संयुक्त संगठन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ।
7. मा0 पीठासीन अधिकारी, महानगर पालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।